# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**1. अपील संख्या – 1722/2012/उदयपुर.**
**2. अपील संख्या – 1723/2012/उदयपुर.**

मैसर्स आर.के.फास्फेट, प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**
**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

कोई नहीं .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 20/10/2016**

## निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 275/वैट/2010–11 एवं 282/सीएसटी/2010–11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 03.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 सपठित धारा 9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा आरोपित कर राशि रूपये 108/–, शास्ति रूपये 22/– एवं ब्याज रूपये 33/– तथा कर राशि रूपये 5,39,506/– शास्ति रूपये 370/– व ब्याज रूपये 1,62,802/– कायम रखे जाकर अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गई। प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी ने अपीलीय आदेश में यथावत रखे गये कर, शास्ति व ब्याज को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण वर्ष 2007–08 का वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 को पारित किया गया, जिसमें कर रूपये 108/– शास्ति रूपये 22/– व ब्याज रूपये 33/– आरोपित किया गया, साथ ही केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पारित आदेश में कर रूपये 5,39,506/– ब्याज रूपये 1,62,802/– व शास्ति रूपये 370/– आरोपित की गई। प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण किया जाकर बेचे गये माल डाई केल्सियम फॉस्फेट पर कर दर का विवाद निहित है।

लगातार.....2

3. दोनो अपीलों का निस्तारण समान बिन्दु होने के कारण एकल निर्णय आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलार्थी ने लिखित उत्तर दिनांक 12.02.2016 की सुनवाई को प्रेषित किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में ही दिये गये निर्णय दिनांक 29.09.2014 से पूर्णतः आच्छादित है। निर्णय में डाई केल्सियम फॉस्फेट पर कर दर के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। विभाग की रिवीजन खारिज की गई है। तथ्यों व परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं है तथा बेचा गया माल समान है, अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा तथ्यों से सहमति व्यक्त की।

6. लिखित उत्तर व विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा डाई केल्सियम फॉस्फेट बेचा गया है। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपने द्वारा बेचे गये माल को कर मुक्त घोषित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बेचे गये माल को कर मुक्त नहीं माना तथा 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके द्वारा निर्मित डाई केल्सियम फॉस्फेट पर दिनांक 01.04.2006 से पूर्व पशु आहार की सूची में एडेटीव शब्द नहीं था। निर्मित वस्तु डाई केल्सियम फॉस्फेट दिनांक 01.04.2006 को राज्य सरकार की करमुक्त सूची शेड्यूल क्रमांक 3 में यह शब्द एडेटीव शब्द जुड़ा हुआ है। इस शब्द से तात्पर्य यह रहा कि हमारी निर्मित वस्तु पशु आहार की एडेटीव की श्रेणी में आती है, इसीलिये हमारे द्वारा इस वस्तु को दिनांक 01.04.2006 से करमुक्त माना है। अब प्रश्न यह रहता है कि हमारी निर्मित वस्तु डाई केल्सियम फॉस्फेट एक ऐसी वस्तु है जो कि मात्र पशु के खाने के काम में आती है, उक्त वस्तु में फ्लोराईड, केल्सियम, फास्फोरस एवं एसिड की नियमित मात्रा को मिलाकर पशु आहार फीड की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम में आता हैं वर्तमान में शिड्यूल 1—3 करमुक्त सूची में मछली आहार, पोलेट्री आहार एवं पशु आहार सम्मिलित शब्द ग्रास, हे एण्ड एस्ट्रस, गवार चुरी, गवार कोरमा, पूरक रूप से हस्क अनाज एवं दालों का कन्स्ट्रड एण्ड एडेटीव शब्द है।

लगातार.....3

अतः पशु आहार में उक्त निर्मित वस्तु उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिये एडेटीव की जाती है अतः यह वस्तु शिड्यूल 1—3 में आती है।

उक्त वस्तु करमुक्त होने पर ही हमारे द्वारा आई.टी.सी. का क्लेम तिमाही विवरण प्रपत्रों में नहीं किया गया है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी के मामले में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 28.04.2014 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिवीजन याचिका 196/2014 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 29.09.2014 के निर्णय आदेश द्वारा रिवीजन याचिका का निस्तारण करते हुए कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें कर बोर्ड द्वारा डाई केल्सियम फॉस्फेट केटल फीड तैयार करने में प्रयोग किया गया एक पदार्थ माना गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पैरा संख्या 8 निम्न प्रकार है :—

> "It was submitted by the respondents that the subsequent amendment expressly refers to "animal feed supplements". This suggests that animal feed supplements were not previously included in the exemption notification. This reasoning must be rejected. The amendment appears to be clarificatory in nature. For exmple, the amendment now expressly refers also to animal feed concentrates which were not expressly referred to earlier. It cannot be said that animal feed concentrates are not animal feed. In the same manner products which supplement animal feed and are generally added to animal feed are also covered by the generic term "animal feed". Other important verdict on the issue is of Division Bench of Karnataka High Court in Godrej Agrovet Limited Vs. Addl. Commissioner of Commercial Taxes [(2011) 39 VST 20] has held as under: "It is in this background, we have to decide this di-clacium phosphate (animal feeds) falls under which category. In this context, it is also useful to refer to the case of Dunlop India and Madras Rubber Factory Limited Vs. Union of India, reported in (1983) 13 ELT 1566 (S.C.). While deciding the classification of glass mirror, the apex court laid down the following principle of classification: The test commonly applied to such cases is how is the product identified by the class or Section of the people dealing with or using the product. That is a test, which is attracted whenever a statute does not contain any definition. It is a matter of common experience that the identity of an article

लगातार.....4

is associated with its primary function. It is only logical that it should be so. When a consumer buys an article, he buys it because it performs a specific function for him. There is a mental association in the mind of the consumer between an article and the need it supplies in his life. It is the functional character of the article, which identifies it in his mind. Therefore, glass mirror is not treated as glass and glassware ever in trade parlance.

"Di-calcium Phosphate" (animal feed grade) is a feed supplement used in the manufacture of animal feeds. It is purchased by animal feed manufacturers for the preparation of animal feeds. The words "di-calciup phosphate" is not specifically mentioned at serial No. 62 in the Third Schedule. Similarly, the said product is also not mentioned at serial No. 8 in the first Schedule. It is not in dispute that the said product is a feed supplement used in the manufacture of animal feeds. The assessee is a manufacturer of animal feeds. The assessee purchased the said food supplement from M/s. Kerala Chemicals and Proteins Limited. The excess quantity, which was purchased is being sold to M/s. Kavi Agencies, who in turn have sold it to animal feed manufacturers. The di-calcium phosphate (animal feed grade) is not useful for any other purposes except manufacturing of animal feed. Therefore, it is an animal feed supplement. The notification referred to supra specifically deals with products used as industrial inputs and packing materials. Di-calcium phosphate (animal feed grade) therefore is not useful as an industrial input or as a packing material. The said product is purchased by animal feed manufacturers for a specific function. The said product is associated with animal feed only. The Additional Commissioner though noticed the judgment of the Supreme Court and accepted the contention that di-caldium phosphate is a product used in the preparation of animal feed, rejected the contention of the Assessee on the ground that the Supreme Court never held that, di-calcium phosphate is a animal feed or animal supplement, which are exempted from taxation. Therefore, it is a clear case of misreading the Apex Court judgment. The Supreme Court has categorically said both the animal feed and feed supplement are exempted from duty, di-

लगातार.....5

calcium phosphate, which is used in the preparation of animal feed is not an animal feed as such, it is a feed supplement. Entry No. 8 of the First Schedule clearly exempts from payment of duty both animal feed and feed supplement, i.e., precisely what the Apex Court said in the judgment. In the view of the matter, the order passed by the Additional Commissioner of Commercial Taxes is patently illegal and requires to be set aside and the order passed by the first appellate authority is to be restored."

Therefore, in my considered opinion, the learned Tax Board has not committed any error of law in concluding that Di-calcium phosphate is a substance utilized for preparation of cattle feed, which is not taxable under the Act of 2003. For that reason, I fully concur with the impugned verdit of the learned Tax Board and even on micro analysis, I am afraid, no question of law is involved in the matter requiring adjudication.

Resultantly, this revision petition lacks in merit and the same is hereby dismissed summarily.

8. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण के पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय के प्रकाश में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए, इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय आदेश के आदेश अपास्त किये जाते हैं। जहां तक धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रूपये 22/— व 370/— का प्रश्न है, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरोपित की गयी है, जो विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य है।

9. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, कर व ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

20/10/2016

( मनोहर पुरी )
सदस्य

( खेमराज )
अध्यक्ष